

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :- 6/ग्रा0 ज0 1-101/2015(खण्ड) 420 (मात्र) पटना - 15. दिनांक :- 25/04/2018

सेवा में,

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,

लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, हिलसा / शिवहर / दरभंगा / मधुबनी / गोपालगंज / भागलपुर पश्चिम / जमुई / सुपौल।

विषय - वर्ष 2017-18 में "मुख्यमंत्री चापाकल योजना" वर्ष 2015-16 के तहत बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति पंचायत पाँच तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड तीन, नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड दो तथा नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड एक की दर से नये चापाकलों का निर्माण एवं बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर प्रति सदस्य 100 की दर से चापाकलों के निर्माण तथा निर्मित चापाकलों के अगले पाँच वर्षों तक रख-रखाव एवं मरम्मत हेतु 173.00 लाख रुपये (एक करोड़ तिहत्तर लाख रुपये) मात्र का आवंटन।

"मुख्यमंत्री चापाकल योजना" के तहत बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति पंचायत पाँच तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड तीन, नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड दो तथा नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड एक की दर से नये चापाकलों का निर्माण एवं बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर प्रति सदस्य 100 की दर से चापाकलों के निर्माण तथा निर्मित चापाकलों के अगले पाँच वर्षों तक रख-रखाव एवं मरम्मत हेतु विभागीय पत्रांक - 6/ग्रा0 ज0-1-101/2015 - 1777 दिनांक - 08/07/15 द्वारा 26235.709 लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी है। वर्ष 2017-18 के राज्य योजना अन्तर्गत इस योजना से चापाकलों के निर्माण तथा निर्मित चापाकलों के अगले पाँच वर्षों तक रख-रखाव एवं मरम्मत हेतु 173.00 लाख रुपये (एक करोड़ तिहत्तर लाख रुपये) मात्र का प्रमण्डलवार आवंटन निम्न तालिका के अनुसार किया जाता है :-

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रमण्डल का नाम	पंचायतों की संख्या	भौतिक लक्ष्य	आवंटित राशि (लाख रुपये में)	
					अंकों में	शब्दों में
1	2	3	4	5	6	7
1	नालन्दा	हिलसा	97	485	15.00	पन्द्रह लाख रुपये मात्र।
2	शिवहर	शिवहर	53	265	6.00	छः लाख रुपये मात्र।
3	दरभंगा	दरभंगा	324	1620	30.00	तीस लाख रुपये मात्र।
4	मधुबनी	मधुबनी	399	1995	35.00	पैंतीस लाख रुपये मात्र।
5	गोपालगंज	गोपालगंज	234	1170	15.00	पन्द्रह लाख रुपये मात्र।
6	भागलपुर	भागलपुर पश्चिम	71	355	4.00	चार लाख रुपये मात्र।
7	जमुई	जमुई	153	765	60.00	साठ लाख रुपये मात्र।
8	सुपौल	सुपौल	181	905	8.00	आठ लाख रुपये मात्र।
		कुल	556	2780	173.00	एक करोड़ तिहत्तर लाख रुपये मात्र।


2. इस योजना पर होने वाला व्यय बजट का मुख्य शीर्ष - 4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय - उपमुख्य शीर्ष - 01-जल पूर्ति - लघु शीर्ष - 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - मांग संख्या - 36 - उप शीर्ष - 0111-ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्स, कूप, नलकूप द्वारा) - विपत्र कोड - 36-4215017890111 - विषय शीर्ष - 0111.53.01 मुख्य निर्माण कार्य मतदेय शीर्ष में भारितव्य होगा।

3. इस आवंटन के अन्तर्गत किया जाने वाला व्यय बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं इनके अन्तर्गत निर्गत सभी सरकारी आदेश के अनुरूप किया जायेगा।

4. आवंटित राशि का व्यय स्वीकृत योजना के अनुसार निर्माण कार्य पर ही किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में स्थापना या दूसरे मद में इस राशि का खर्च नहीं किया जायेगा।

5. आवंटित राशि वित्त विभाग के पत्रांक - एम0 04 - 05/98 - 2561 (वि0 - 2) दिनांक - 17-04-98 के अधीन निकासी हेतु विनियुक्त है।

6. कार्यों का प्रगति प्रतिवेदन प्रतिमाह की 10वीं तारीख तक मुख्यालय को निर्धारित प्रपत्र में अवश्य भेज देंगे। प्रगति से जिला पदाधिकारी को भी नियमित रूप से अवगत कराते रहेंगे।


(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)

अभियन्ता प्रमुख -सह- विशेष सचिव

ज्ञापक :- 420 (मग0)

पटना, दिनांक :- 25/01/2018

प्रतिलिपि - महानेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


2. विकास आयुक्त / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार / प्रमंडलीय आयुक्त, पटना / तिरहुत / दरभंगा / सारण / भागलपुर / मुँगेर / कोसी को सूचनार्थ प्रेषित।

3. जिला पदाधिकारी, नालन्दा / शिवहर / दरभंगा / मधुबनी / गोपालगंज / भागलपुर / जमुई / सुपौल / उप-विकास आयुक्त, नालन्दा / शिवहर / दरभंगा / मधुबनी / गोपालगंज / भागलपुर / जमुई / सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित।

4. कोषागार पदाधिकारी, शिवहर / दरभंगा / मधुबनी / गोपालगंज / भागलपुर / जमुई / सुपौल / उप-कोषागार पदाधिकारी, हिलसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. आप्त सचिव, माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

6. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / अभियन्ता प्रमुख सह विशेष सचिव / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) / मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक) / क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, पटना / क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, मुजफ्फपुर / क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, भागलपुर / क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, पूर्णियाँ / विशेष पदाधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता (मो0) / अधीक्षण अभियन्ता, पटना / अधीक्षण अभियन्ता, मुजफ्फपुर / अधीक्षण अभियन्ता, दरभंगा / अधीक्षण अभियन्ता, छपरा / अधीक्षण अभियन्ता, भागलपुर / अधीक्षण अभियन्ता, मुँगेर / अधीक्षण अभियन्ता, सहरसा / कार्यपालक अभियन्ता -सह- नोडल पदाधिकारी / उप निदेशक (मू0) को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित / कार्यपालक अभियन्ता (मो0-1) / निदेशक, (जल गुणवत्ता) / सहायक अभियन्ता (मूल्यांकन) / प्रभारी, डाटा सेन्टर (बेवसाईट पर प्रकाशन हेतु) / आई0 टी0 मैनेजर / प्रशाखा पदाधिकारी - 4, 6 / कार्यवाह सहायक प्रशाखा-6 को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित संचिका में रखने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)

अभियन्ता प्रमुख -सह- विशेष सचिव

